— Setting up of "Working Group by Planning Commission on Participatory Irrigation Management for the IX Plan."

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**राज्यों में नदी जल का बंटवारा**

2050. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राज्यीय जल के मामले में राज्यों के हिस्से निर्धारित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यों द्वारा विभिन्न प्रमुख नदियों में अपने-अपने हिस्सों के लिए किये गये दावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रमुख नदियों से जल के बंटवारे के लिए किए गए दावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र):** (क) जी हां।

(ख) से (ङ) विवरण संलग्न है (**नीचे देखिए**)

अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) की धारा 6 के अनुसार अधिकरण का निर्णय अंतिम एंव विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा इसे उनके द्वारा लागू किया जाएगा।

## विवरण

वृहद अन्तर-राज्यीय नदियों के संबंध में दावा की गई हिस्सेदारी और आबंटित जल का विवरण नीचे दिया गया है:—

**1. कृष्णा जल विवाद अधिकरण**

यूनिट: टी.एम. सी.
(हजार मिलियन क्यूबिक फुट)

| राज्य | दावे की मात्रा | आबंटित | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 75% निर्भरता योग्य प्रवाह | वापिसी प्रवाह | कुल |
| आन्ध्र प्रदेश | 2008.1 | 800 | 11 | 811 |
| कर्नाटक | 1432.4 | 700 | 34 | 734 |
| महाराष्ट्र | 828.8 | 560 | 25 | 585 |
| | | 2060 | 70 | 2130 |

**2. गोदावरी जल विवाद अधिकरण**

**क. दावा की गई हिस्सेदारी**

**महाराष्ट्र:** 1951 के समझौते को अमान्य घोषित किया जाये, राज्यों के हिस्से की मात्रा एक समान हो आदि।

**कर्नाटक:** 1951 के समझौते आदि पर ध्यान न देते हुए मंझारी वितरणी के उपलब्ध जल में समान हिस्सेदारी के अनुसार 75 प्रतिशत विश्वसनीयता।

**मध्य प्रदेश:** 1951 के समझौते को अमान्य घोषित किया जाए, अपने राज्य के भीतर अपने अंशदान की सीमा तक गोदावरी बेसिन में प्रवाहित होने वाले जल का उपयोग करने का अधिकार आदि।

**उड़ीसा:** इसके जलग्रहण से सम्पूर्ण जलप्रवाह का प्रयोग और नियंत्रण करना अथवा दूसरी ओर कुछ अन्य मांगों के साथ 478.270 टी एम सी का प्रयोग करना।

**आन्ध्र प्रदेश:** वर्ष 1951 के समझौते के अनुसार अन्य विभागों के साथ गोदावरी नदी की 2500 टी एम सी की विश्वसनीय प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1951 से पहले वचनबद्ध परियोजनाओं के लिए दैनिक आधार पर 1960 के बीच की वचनबद्ध परियोजनाओं के लिए साप्ताहिक आधार पर वैकल्पिक रूप से पूर्ण तथा समय पर आपूर्ति।

**ख. अधिकरण द्वारा आबंटन**

गोदावरी जल विवाद अधिकरण ने 2495 टी एम सी का 75 प्रतिशत विश्वसनीय प्रवाह राज्यवार आबंटित नहीं किया है लेकिन इसे अलग-अलग समझौतों द्वारा राज्यों के बीच कुछ शर्तों के साथ परियोजनाओं के कुछ स्थानों पर आबंटित किया है।

**3. कावेरी जल विवाद अधिकरण**

कावेरी जल विवाद अधिकरण में बेसिन राज्यों द्वारा दावा किए गए कावेरी जल का वास्तविक हिस्सा इस प्रकार है:

(i) कर्नाटक — 465 टी एम सी फुट

(ii) तमिलनाडु — वर्ष 1892 और 1924 के समझौतों के अनुसार प्रवाह सुनिश्चित किया जाना है।

(iii) केरल — 99.8 टी एम सी फुट

(iv) पांडिचेरी — 9.3 टी.एम सी फुट

अधिकरण ने 25 जून, 1991 को अन्तरिम पंचाट दिया जिसमें कर्नाटक को निदेश दिया गया कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए अनुसार जल वर्ष में मैत्तूर जलाशय में 205 टी एम सी जल सुनिश्चित किया जाए और तमिलनाडु

6 टी एम सी जल पांडिचेरी सुनिश्चित करेगा। कर्नाटक राज्य कावेरी नदी के जल द्वारा सिंचाई के अंतर्गत अपना क्षेत्र विद्यमान 11.2 लाख एकड़ से अधिक नहीं बढ़ायेगा।

**4. नर्मदा जल विवाद अधिकरण**

यूनिट: मिलियन एकड़ फुट (एम ए एफ)

| राज्य | किया गया दावा | आबंटित |
|---|---|---|
| मध्य प्रदेश | 24.10 | 18.25 |
| महाराष्ट्र | उपलब्ध नहीं | 0.25 |
| गुजरात | 22.02 | 9.00 |
| राजस्थान | उपलब्ध नहीं | 0.50 |
| | | 28.00 |

**5. रावी-व्यास जल विवाद अधिकरण**

यूनिट: मिलियन एकड़ फुट
यूनिट: बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम)

| राज्य | किया गया दावा | आबंटित (अन्तरिम रिपोर्ट जनवरी, 1987 के अनुसार) |
|---|---|---|
| पंजाब | 9.655 | 5.00 |
| हरियाणा | 1.334 | 3.83 |
| राजस्थान | 4.500 | 8.60 |
| दिल्ली | दावा नहीं किया गया | 0.20 |
| जम्मू व कश्मीर | दावा नहीं किया गया | 0.65 |
| | | 18.28 |

**टिप्पणी:** इस समय जल का आबंटन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों के बीच 1981 के पहले समझौते के आधार पर किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित आबंटनों की परिकल्पना है:

| | |
|---|---|
| पंजाब | 4.22 मिलियन एकड़ फुट |
| हरियाणा | 3.50 मिलियन एकड़ फुट |
| राजस्थान | 8.60 मिलियन एकड़ फुट |
| दिल्ली | 0.20 मिलियन एकड़ फुट |
| जम्मू व कश्मीर | 0.65 मिलियन एकड़ फुट |
| | 17.17 मिलियन एकड़ फुट |

**6. यमुना जल बंटवारा**

यूनिट: बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम)

| राज्य | किया गया दावा | आबंटित (12.5 1994 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार) |
|---|---|---|
| हरियाणा | 21.844 | 5.730 |
| उत्तर प्रदेश | 16.959 | 4.032 |
| हिमाचल प्रदेश | 1.344 | 0.378 |
| राजस्थान | 7.754 | 1.119 |
| दिल्ली | 1.669 | 0.724 |
| | 49.580 | 11.983 |

**टिप्पणी:** उपर्युक्त आबंटन ओखला तक यमुना नदी के जल के लिए है।

**पारपत्रों को डाक से भेजा जाना**

2051. **श्रीमती आनंदी ज० पटेल:** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि डाक सेवाओं के माध्यम से भेजे जाने वाले पारपत्र गुम हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

**विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल):** (क) जी हां। यद्यपि पारपत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाए जाते हैं फिर भी ऐसे मामले हो सकते हैं जिनमें आवेदकों को डाक से भेजे गए पारपत्र मार्ग में गुम हो गए। आवेदकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए पारपत्र कार्यालयों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वे संबंधित डाकखाने से इस आशय की पुष्टि होने के बाद कि उक्त पारपत्र प्रेषिती को परिदत्त नहीं किया गया है और आवेदक द्वारा यह हलफनामा देने के बाद कि उसने पारपत्र प्राप्त नहीं किया है, गुम हुए पारपत्र को खोया हुआ घोषित करने के उपरान्त निर्धारित फीस चार्ज किए बिना दूसरा पारपत्र शीघ्र ही जारी कर दें।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे मामलों की संख्या से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन के पटल पर रख दी जाएगी।